

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति बहराइच की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 28.01.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ० प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ, दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" की बैठक दिनांक 28.01.2023 को आयोजित की गयी। जिलाधिकारी बहराइच की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|---|------------------|
| 1. मुख्य विकास अधिकारी | - उपाध्यक्ष |
| 2. जिला विकास अधिकारी | - सदस्य |
| 3. प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य | - सदस्य |
| 4. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी | - सदस्य |
| 5. जिला बेशिक शिक्षा अधिकारी | - सदस्य |
| 6. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई | - सदस्य |
| 7. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर | - सदस्य |
| 8. जिला कृषि अधिकारी | - सदस्य |
| 9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी | - सदस्य |
| 10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ० प्र० जल निगम बहराइच | - सदस्य सचिव |
| 11. श्री राकेश तिवारी, मेसर्स पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० (जे०वी०) | - फर्म प्रतिनिधि |
| 12. श्री गंगाधर, मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा-वी.पी.एल. (जे.वी.) | - फर्म प्रतिनिधि |
| 13. समस्त उप जिलाधिकारी | |

बैठक में सर्व प्रथम एस.एल.एस.एस.सी. से स्वीकृत एवं त्रिपक्षी अनुबन्ध के सापेक्ष मेसर्स पी०एन०सी० को आवंटित कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गयी। अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव, खण्ड कार्यालय उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), बहराइच द्वारा अवगत कराया गया है कि एस.एल.एस.एस.सी. से 686 राजस्व ग्रामों की 486 नग पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके सापेक्ष 519 नग राजस्व ग्रामों की 409 नग पेयजल योजनाओं का आवरण अनुबन्ध का गठन हो चुका है, जिनके कार्य प्रगति पर है। 100 दिन हेतु निर्धारित लक्ष्य 20 परियोजनाओं के सापेक्ष 20 परियोजनाओं में डी.जी. सेट से संचालन प्रारम्भ किया गया एवं 12556 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 8356 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण किया गया तथा 06 माह हेतु मेसर्स पी०एन०सी० को 138 नग पेयजल योजनाओं के 179 राजस्व ग्रामों में 66083 नग गृह जल संयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें 1630 कि.मी. वितरण बिछायी गयी है तथा 28261 नग गृह जल संयोजन का कार्य कराया गया है। माह दिसम्बर 2022 तक 293 नग पेयजल योजनाओं के 374 राजस्व ग्रामों में 92412 गृह जल संयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष 2596 कि.मी. वितरण प्रणाली बिछायी जा चुकी है तथा 66120 नग गृह जल संयोजन का कार्य कराया जा चुका है। वर्तमान तक फर्म द्वारा 409 नग पेयजल योजनाओं के 519 राजस्व ग्रामों में 288474 गृह जल संयोजन के सापेक्ष 76092 नग गृह जल संयोजन तथा 5516 कि.मी. वितरण प्रणाली के सापेक्ष 2932 कि.मी. वितरण प्रणाली बिछायी जा चुकी है।

जल जीवन मिशन फेज-2 कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) लखनऊ द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित फर्म मेसर्स पी०एन०सी० इन्फ्राटेक लि० एवं एस०पी०एम०एल०(जे०वी०), पी०एन०सी० टावर 3/22-डी० सिविल लाइन्स, बाईपास रोड आगरा द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद में पूर्व में 505 नग राजस्व ग्रामों में 505 नग राजस्व ग्राम (539 नग नई एवं 56 नग रेट्रोफिटिंग/पुर्नगठन) सम्मिलित है। वर्तमान में फर्म मेसर्स पी.एन.सी. आगरा के द्वारा 02 नग पेयजल योजनाओं के डी.पी.आर. प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें 04 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। फेज-5 हेतु चयनित फर्म मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा-वी.पी.एल. हैदराबाद द्वारा पूर्व में 14 नग पेयजल योजनाओं के डी.पी.आर. प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें 19 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। वर्तमान में फर्म फेज-5 हेतु चयनित फर्म मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा-वी.पी.एल. हैदराबाद के द्वारा 24 नग पेयजल योजनाओं के डी.पी.आर. प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें 30 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ के शासनादेश संख्या 16/2021/948/76-1-2021-25सम/2019 दिनांक 19.03.2021, 36/2021/1599/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 08.07.2021 एवं 51/2021/1883/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 द्वारा निर्गत तकनीकी गाइडलाइन के अनुसार उपरोक्त दोनों

तुलाई का प्राविधान नहीं है। यदि फर्म अपने संशोधनों से उप जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सरकारी भूमि से मिट्टी तुलाई कराते हुए जल कल परिसर में मिट्टी भराई का कार्य करा सकती है।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ समस्त उप जिलाधिकारी/ डी.सी.मनरेगा/पी.एन.सी.)

12. जनपद में पूर्व की 04 वन ग्राम जो वर्तमान में नये आबाद ग्राम घोषित किये गये हैं उन्हें भी फेज-05 हेतु चयनित फर्म को आवंटित करने हेतु समिति द्वारा निर्देशित किया गया है तथा जल जीवन मिशन फेज-02 के 03 ग्राम मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा-वी.पी.एल.(जे.वी.) को आवंटित ग्रामों के डी.पी.आर. फर्म पी.एन.सी. द्वारा बनाकर स्वीकृत कराये जा चुके हैं उन ग्रामों के स्थान पर यदि कोई अतिरिक्त ग्राम फर्मों को आवंटित होने से अवशेष है तो उसकी समीक्षा कर ग्रामों की संशोधित सूची मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा-वी.पी.एल.(जे.वी.) को उपलब्ध कराने हेतु समिति द्वारा अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव, जल निगम को निर्देश दिये गये।

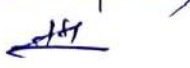
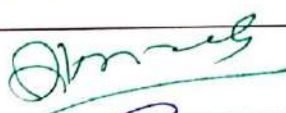
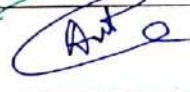
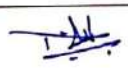
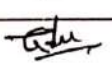
(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा-वी.पी.एल.(जे.वी.)/पी.एन.सी.)

13. अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्रांक संख्या 702/314(टवस.)/2021-23 दिनांक 08.07.2021 के द्वारा निर्देश दिया गया है कि समस्त ग्राम पंचायतों में Slogan wall writing तथा Culteral Activity/ Nukkad Natak के माध्यम से पानी की गुणवत्ता के सम्बन्ध में आम जन मानस को जागरूक करना, लोगों से संवाद करना, ग्राम सभा की खुली बैठक कराना लोगों को पेयजल एवं स्वच्छता के महत्व को समझाना इत्यादि गतिविधियां जनपद के अन्तर्गत कार्यरत समस्त आई.एस.ए. द्वारा कराया जायेगा। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिशासी निदेशक के पत्र में वर्णित किये गये कार्यों को जनपद बहराइच के अन्तर्गत कार्यरत समस्त आई.एस.ए. द्वारा निःशुल्क कराये जाए।

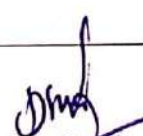
(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ डी.पी.एम.यू./समस्त आई.एस.ए.)

14. फर्म पी.एन.सी.इन्फ्रा आगरा एवं मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा-वी.पी.एल.(जे.वी.) को समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि गृह जल संयोजन घरों के अन्दर तक किये जाये, जिससे किये गये गृह जल संयोजन सुरक्षित बने रहें।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा-वी.पी.एल.(जे.वी.)/ पी.एन.सी.)

क्र.स.	सदस्य	हस्ताक्षर
1	मुख्य विकास अधिकारी	
2	जिला विकास अधिकारी	
3	प्रभागीय वन्यधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य (के समस्त अधिशासी अभियन्ता के अन्तर्गत आने वाले समस्त ग्रामों की सूची का निगम के द्वारा प्रमाणित किया जाये)	
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	
5	जिला बेशिक शिक्षा अधिकारी	
6	अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई	
7	जिला कृषि अधिकारी	
8	जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी	


28/01/2023
अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
बहराइच।


जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बहराइच।


28/01/2023

पृ०सं० 62 / जल जीवन मिशन/ कार्य-17/43 दिनांक 28/01/2023

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभागा, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
6. मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच।
7. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
8. जिला विकास अधिकारी, बहराइच।
9. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच।
10. प्रभागीय वन अधिकारी, बहराइच।
11. उप जिलाधिकारी, बहराइच/नानपारा/कैसरगंज/महसी/पयागपुर/मोतीपुर।
12. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, बहराइच।
13. जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच।
14. जिला कृषि अधिकारी, बहराइच।
15. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बहराइच।
16. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद अन्तर्गत।
17. टी.पी.आई./डी.पी.एम.यू., बहराइच।
18. मेसर्स पी०एन०सी०इन्फ्राटेक लि० एवं एस०पी०एम०एल०जे०वी०, पी०एन०सी० टावर 3/22-डी० सिविल लाइन्स, बाईपास रोड आगरा को उपरोक्त के अनुपालनार्थ हेतु।
19. फर्म मेसर्स जी.ए.इन्फ्रा-वी.पी.एल.(जे.वी.) प्लॉट नम्बर 61, केशव नगर हवा सड़क जयपुर राजस्थान-302006 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से सम्पर्क कर पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अवशेष भूमि प्राप्त करते हुए डी.पी.आर. शीघ्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


28/01/23
अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
 बहराइच।